सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 236 दर्ज तिथिः—26.05.2025

1. पूनमचन्द पुत्र मोडाराम
2. धनराज पुत्र उकाराम
3. तेजाराम पुत्र उकाराम
   जाति खत्री निवासी जालीखेड़ा पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार गुड़ामालानी।

..............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

   - कि आराजी मूल खसरा संख्या 60 रकबा 44—13 बीघा व 59 रकबा 48—01 बीघा मौजा जालीखेड़ा पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी का प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करवाया गया। खसरा संख्या 59 का बंटवारा सहमति आदेश क्रमांक / भू0अ0 / लो0अ0 / 06 दिनांक 21.01.2018 की पालना में नामान्तरण संख्या 871 दायर किया गया। खसरा संख्या 60 का बंटवारा सहमति ओदश क्रमांक / भू0अ0 / 2018 / 2852 दिनांक 23.07.2018 की पालना में नामान्तरण संख्या 574 दायर किया गया।
   - कि नामान्तरण संख्या 871 व 874 से खसरा संख्या 60 रकबा 2.4119 है0, 59 / 2 / 1.2707 है0 मौजा जालीखेड़ा प्रार्थी संख्या 01, खसरा सख्या 60 / 1 / 2.4038 है0, 59 / 3 / 1.2707 है0 प्रार्थी संख्या 02, खसरा संख्या 60 / 2 / 2.4119 है0, 59 / 4 / 1.2707 है0 प्रार्थी संख्या 03 के नाम दर्ज की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण द्वारा सहमति बंटवारा की पुश्त पर पारित नामान्तरण में तरमीम सहमति बंटवारा अनुसार नहीं कर लट्‌टा ट्रेस में भिन्न अंकित कर दी गई। जिससे मौके एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता उत्पन्न हो गई। जिसे प्रार्थीगण परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1922 दिनांक 19.01.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

हाल राजस्व रिकॉर्ड

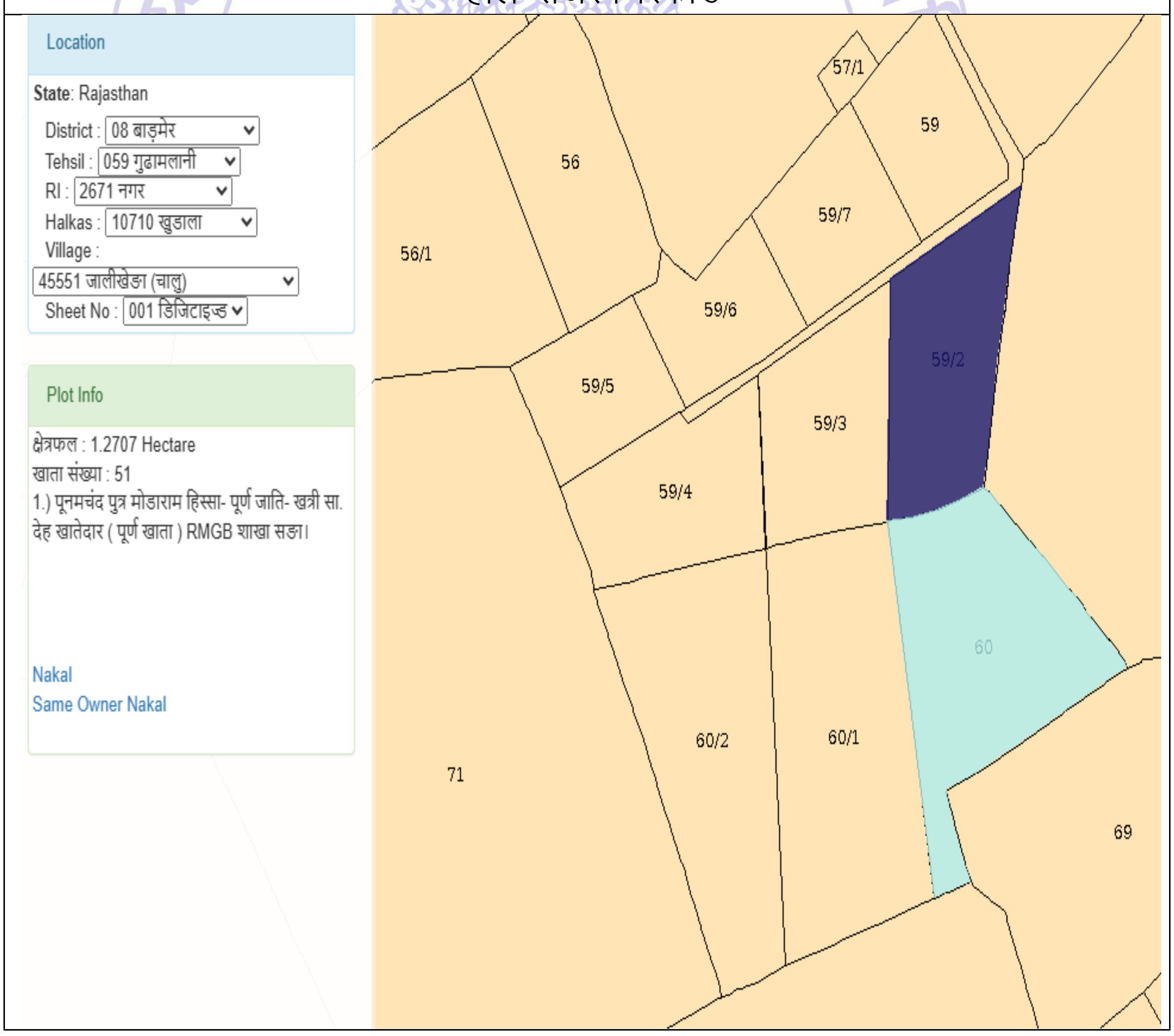

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट–अ

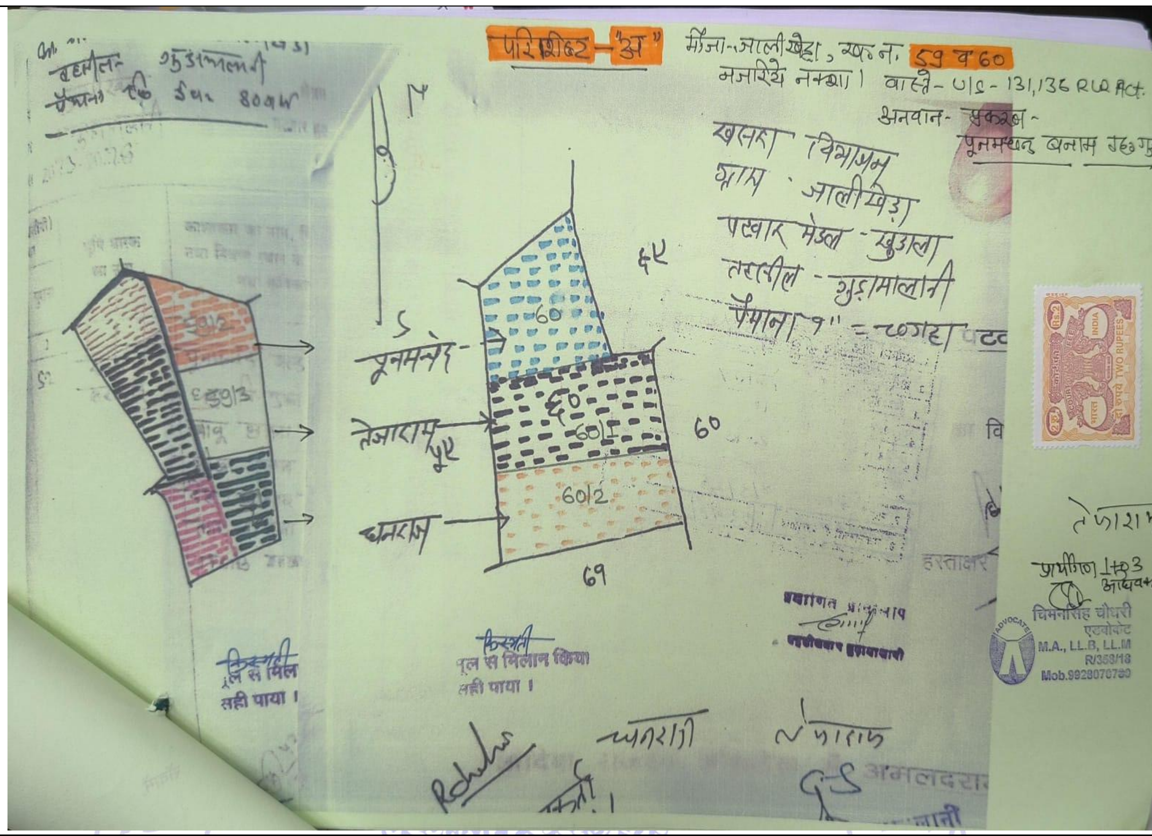

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–बी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

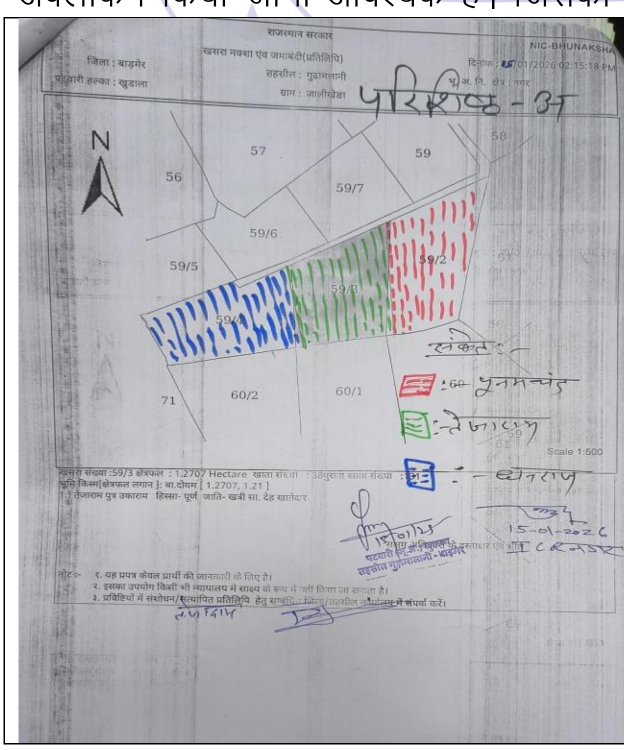

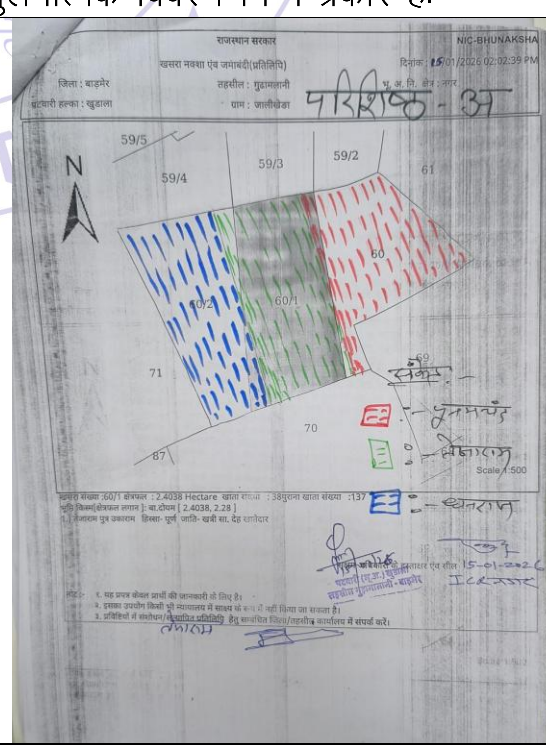

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 60, 60 / 1, 60 / 2, 59 / 3, 59 / 4 मौजा जालीखेड़ा में नामान्तरण संख्या 871 व 874 की पुश्त पर मूल खसरे का विभाजन के अंकन के अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शा में तितम्मा अंकित किया गया है।
   2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 60, 60 / 1, 60 / 2, 59 / 3, 59 / 4 मौजा जालीखेड़ा नामान्तरण संख्या 871 व 874 की पुश्त पर मूल खसरे का विभाजन के अंकन के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज नहीं है।
   3. प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 60, 60 / 1, 60 / 2, 59 / 3, 59 / 4 मौजा जालीखेड़ा में प्रार्थी के वास्तविक कब्जा—काश्त एवं सहमति विभाजन एवं परिशिष्ट—अ के अनुसार प्रार्थी की तरमीम शुद्ध कया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1922 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested